संदर्भ सं. राबैं. डोर/ 65 /पीपीएस- 09/ 2021-22 29 अप्रैल 2021
परिपत्र सं. राबैं. 79 / डोर - 25 / 2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी एनबीएफसी-एमएफआई

महोदया/ महोदय

विशेष तरलता सुविधा -2 (एसएलएफ़-2) के तहत एनबीएफ़सी-एमएफ़आई के लिए पुनर्वित्त	**Refinance under Special Liquidity Facility-2 (SLF-2) for NBFC-mFIs**
कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले एक वर्ष के दौरान अभूतपूर्व समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं. ऐसे में नाबार्ड ने इन समस्याओं को कम करने और वित्तीय संस्थानों के लिए अबाधित ऋण प्रवाह बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं, ताकि समाज में ऋण की पहुँच से वंचित तबके के लोग अपनी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें. जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों की तरलता बढ़ाने के लिए कदम उठाया है और दिनांक 07 अप्रैल 2021 के अपने पत्र के माध्यम से एसएलएफ़-2 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, एससीएआरडीबी, एसएफ़बी और एनबीएफ़सी-एमएफ़आई को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए रु .25000 करोड़ का आवंटन किया है.	Covid-19 pandemic has brought an unprecedented sequence of events in the last one year and NABARD has taken several measures to reduce disruptions and maintain unhindered flow of credit to financial institutions and thereby helping unreached segment of society to meet their credit needs. As you are aware, RBI has come forward to support in augmenting the liquidity position of the financial institutions and has made an allocation of Rs.25,000 crore under SLF-2 vide their letter dated 07 April 2021 for refinancing RRBs, State Cooperative Banks, SCARDBs, SFBs and NBFC-mFIs.
2. तदनुसार, दिनांक 12 अप्रैल 2021 के हमारे परिपत्र सं. 66/ डोर-17/2021 के द्वारा जारी पुनर्वित्त नीति संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर विशेष तरलता सुविधा -2 (एसएलएफ -2) के तहत एनबीएफ़सी-एमएफ़आई को पुनर्वित्त उपलब्ध काराया जाएगा.	2. Accordingly, refinance under Special Liquidity Facility-2 (SLF-2) will be extended to NBFC-mFIs based on the policy guidelines issued vide our circular No.66/ DOR-17/2021 dated 12 April 2021.
3. चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक से प्रदत्त एसएलएफ़-2, नाबार्ड द्वारा प्रथम आहरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए है और इसे इस अवधि भीतर चुकाया जाना है, अतः अपने निधियों की वृद्धि के	3. Since the SLF-2 from RBI is for a period of one year from the date of first drawl by NABARD and has to be repaid back within that time, the repayment period for this

माध्यम से इस सुविधा के लिए चुकौती अवधि 18 महीने की अवधि की मीयादी ऋण के रूप में होगी. एनबीएफसी-एमएफआई को एलटी पुनर्वित्त के तहत उधार की राशि के लिए शेष अवधि में आनुपातिक राशि की चुकौती करनी होगी और पुनर्वित्त की शेष राशि की चुकौती मंजूरी पत्र में दी गई अदायगी अनुसूची के अनुसार एक या एक से अधिक किश्तों में करनी होगी.	facility shall be in the form of a term loan of 18 months duration by augmenting with our own funds. NBFC-mFIs have to repay the proportionate amount of the balance period in one lump sum at the end of such period for the borrowing under LT refinance and the remaining amount of refinance has to be repaid in one or more instalments as per repayment schedule stipulated in the sanction letter.
4. इस सुविधा के तहत समय-समय पर अलको द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा. वर्तमान में एसएलएफ़-2 सुविधा के तहत उपलब्ध निधियों के लिए रेपो रेट + 300 बीपीएस और लागू जोखिम प्रीमियम के आधार पर ब्याज लगाया जाएगा. नाबार्ड के अपने संसाधनों से प्रदत्त शेष पुनर्वित्त की राशि पर सामान्य उधार के लिए प्रभारित दर के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा.	4. Interest rate under this facility shall be as per ALCO rates as decided from time to time. The current rate for the funds available under SLF-2 facility is `Repo Rate + 300 bps' with applicable risk premium. The balance amount of refinance provided from NABARD's own resources will be charged at a rate as applicable to normal lending.
5. पुनर्वित्त प्रस्ताव नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएँ, जहां एनबीएफ़सी-एमएफ़आई का कॉर्पोरेट / प्रधान कार्यालय स्थित है.	5. The refinance proposals may be submitted through Regional Offices of NABARD where the Corporate / Head Office of NBFC-mFI is located.
6. यह परिपत्र नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर टैब सूचना केंद्र के तहत भी उपलब्ध है.	6. The Circular is also available on NABARD website www.nabard.org under the tab information Centre.
7. कृपया प्राप्ति सूचना दें.	7. Please acknowledge receipt.

भवदीय

(एल. आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबन्धक